

## कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक-C-18/0 /जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2025-26 दिनांक 19 नवम्बर, 2025

### विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद, लखनऊ के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में ऑगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पद
1	Aliganj	140
2	Alamnagar	97
3	Chinhat	102
4	Kakori	105
5	Malihabad	76
6	Mall	83
7	Saroininagar	152
8	Mohanlalganj	106
9	Gosaiganj	116
10	Bakshi Ka Talab	129
Total		1106

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

**विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :-**

- विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- ऑगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।
- ऑगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो, आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
- आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा/शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जिस ग्राम सभा/शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित वार्ड का पद रिक्त होगा।
- चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिका तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला को वरीयता होगी।
- गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाक शुदा महिला को वरीयता होगी।

  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
लखनऊ।



- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला को चयनित किया जायेगा।
- मेरिट का निर्धारण इण्टर मीडिएट से परास्नातक तक प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा।
- निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- आय प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर ही ऑनलाईन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा।
- ऑफलाइन/डाक द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10 दिसम्बर, 2025 के मध्य रात्रि 12 बजे तक होगी।
- आवेदन करते समय शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 गहन अध्ययन के उपरान्त आवेदन करें। उक्त शासनादेश के आधार पर ही सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

नोट :-रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

19/11/25

(श्रेयश कुमार)  
जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या- /तद दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को शासकीय दरों पर प्रदेश स्तर/स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा अमर उजाला लखनऊ संस्करण समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, लखनऊ।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ।
7. समस्त सदस्यगण चयन समिति, लखनऊ।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
लखनऊ।